SOLVAY

INDIA: कर सारांश: ESPP

यह नोट खरीदे गए परचेज्ड शेयरों, ESPP के अंतर्गत दिए गए मैचिंग शेयर अवार्ड्स और निःशुल्क शेयर अवार्ड्स पर लागू होता है, यह मई 2022 तक के लिए सही है और मानता है कि कर्मचारी भारतीय कर निवासी (टैक्स रेजिडेंट) है और ऐसा परचेज्ड शेयरोंकी खरीद, मैचिंग शेयर अवार्ड्स और निःशुल्क शेयर अवार्ड्स की ग्रांट से लेकर मैचिंग शेयर अवार्ड या निःशुल्क शेयर अवार्ड के निहित होने या शेयरों की बिक्री तक हर समय रहा है।

यह जानकारी सिर्फ सामान्य मार्गदर्शन के लिए प्रदान की गई है और वास्तविक कर परिणाम आपकी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेंगे। यदि आपको अपनी कर स्थिति को लेकर कोई संदेह है, तो आपको स्वतंत्र कर सलाह लेनी चाहिए।

कर्मचारी

1. क्या परचेज्ड शेयर खरीदने पर मेरे ऊपर कर लगाया जाएगा?

नहीं – जब आप परचेज्ड शेयर खरीदेंगे तो आपको कोई आयकर या सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना पड़ेगा।

2. क्या मुझे मैचिंग शेयर अवार्ड या निःशुल्क शेयर अवार्ड दिए जाने पर मेरे ऊपर कर लगाया जाएगा?

नहीं – मैचिंग शेयर अवार्ड और निःशुल्क शेयर अवार्ड दिए जाने पर आपको कोई आयकर, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, अधिभार (सरचार्ज) या स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नहीं देना पड़ेगा।

3. क्या मैचिंग शेयर अवार्ड या निःशुल्क शेयर अवार्ड के निहित होने पर मेरे ऊपर कर लगाया जाएगा?

हां - आपको अपने मैचिंग शेयर अवार्ड या अपने निःशुल्क शेयर अवार्ड के निहित होने पर प्राप्त शेयरों के बाजार मूल्य पर आयकर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (लेकिन सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं) का भुगतान करना होगा। आपका नियोक्ता आयकर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के देय अंशदानों की कटौती करके जमा (विदहोल्ड) करेगा।

2022/23 कर वर्ष के लिए:

1. रु. 2,50,000 तक की आय के लिए आयकर दर 0% है, रु. 2,50,000 और रु. 5,00,000 के बीच की आय के लिए 5% है और रु. 5,00,000 और रु. 10,00,000 के बीच की आय के लिए 20% है और रु. 10,00,000 से ऊपर की आय के लिए 30% है;
2. अधिभार रु. 50,00,000 और रु. 1,00,00,000 के बीच की आय पर 10% की दर से, 1,00,00,000 से ऊपर की आय पर 15%, 2,00,00,000 से ऊपर की आय पर 25% और 5,00,00,000 से ऊपर की आय पर 37% की दर से लागू होता है; और
3. 2,50,000 रुपये से अधिक की आय पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर से लागू होता है।

4. क्या अपने शेयरों को बेचने पर मेरे ऊपर कर लगाया जाएगा?

यदि आपके शेयरों की बिक्री पर विक्रय आय आपके द्वारा प्राप्त उन शेयरों की प्राप्ति तिथि के बाजार मूल्य से अधिक है, तो आपको शेयरों के बाजार मूल्य के बीच के अंतर पर पूंजीगत लाभ कर का इन स्थितियों में

भुगतान करना होगा (i) मैचिंग शेयर अवार्ड्स और निःशुल्क शेयर अवार्ड्स के निहित होने पर और (ii) परचेज्ड शेयरों की खरीद, और बिक्री पर शेयरों के बाजार मूल्य पर।

यदि बिक्री अधिग्रहण तिथि के कम से कम 24 महीने बाद होती है, तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 20% की दर से लागू होता है (लागू अधिभार और शिक्षा उपकर के अनुसार वृद्धि सहित)।

यदि बिक्री अधिग्रहण तिथि के 24 महीने के भीतर होती है, तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ आपकी आय में जोड़ा जाएगा और कर लागू सीमांत आयकर दरों पर देय होगा।

आपका नियोक्ता किसी भी देय पूंजीगत लाभ कर को काटकर जमा (विदहोल्ड) नहीं करेगा और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका भुगतान करें और अपने वार्षिक आयकर रिटर्न में इसकी रिपोर्ट करें।

5. क्या लाभांश प्राप्त होने पर मेरे ऊपर कर लगाया जाएगा?

आपके परचेज्ड शेयरों पर लाभांशों का भुगतान किया जाएगा और उनका भुगतान किए जाने पर वे लागू दरों (ऊपर देखें) पर 'वेतन आय' के रूप में कर योग्य होते हैं।

आपका नियोक्ता लाभांशों पर देय किसी भी कर को काटकर जमा (विदहोल्ड) नहीं करेगा और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका भुगतान करें और इसकी रिपोर्ट करें।

यदि आपके लाभांश के संबंध में बेल्जियम में कोई कर कटौती करके जमा (विदहोल्ड) कर दिया जाता है, तो किसी भी दोहरे कराधान से बचने के लिए, कर कटौती या टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है बशर्ते आपके देश की बेल्जियम के साथ दोहरी कर संधि हो। कर कटौती या टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए आपको अपने कर प्राधिकारी के पास आवेदन करना पड़ेगा।